

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....130...../
दो-15-3/90


रीवा, दिनांक 28/10/2023

01. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आर्बिटेसन प्रकरण क्रमांक MJCAV/20/2023 संजय कुमार वि0 एल.एन.टी. फायनेन्स लिमिटेड का प्रकरण वाणिज्यिक न्यायालय रीवा की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित होने के कारण उक्त प्रकरण द्वितीय जिला न्यायाधीश रीवा की न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री आनंद गौतम, सप्तम जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

02. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कॉलम नं. 2 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नं. 3 में दर्शित सूची अनुसार सिविल/आपराधिक प्रकरणों को विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नं. 04 की न्यायालय में अंतरित किया जाता है :-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण अंतरित किया जाना है	प्रकरणों का प्रकार	प्रकरण जिस न्यायालय को अंतरित किया गया है
1	2	3	4
1.	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)	अन0 सिविल प्रकरण क्रमांक 01 से 32 तक	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
		1. क्रमांक 33 2. टी.डी.आर. सूची क्रमांक 01 से 15 तक	ग्यारहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
		जमानत पत्रावली क्रमांक 01 से 03	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

नोट :- षष्ठम जिला न्यायालय रीवा के रिक्त न्यायालय (सिविल) का प्रभार 11 वें जिला न्यायाधीश रीवा को होने से क्रमांक 33 एवं टी0डी0आर0 सूची क्र. 01 से 15 संबंधित न्यायालय अंतरित की गई।


(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

3621
7

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक.....4837 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 28/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. चतुर्थ/षष्ठम/सप्तम/ग्यारहवें, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
 2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, रीवा (म0प्र0)।
 3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
 4. डी0एस0ए0, कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ S. J. S. A. पंजीव
कि ये जाते हेतु।

S.P.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)